न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86 / 2023

1 पूनम उम्र 45 साल पुत्री राधेश्याम पत्नी पुरूषोत्तम जाति रावणा राजपुत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ा गौडच़जी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मनीष पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी ग्राम गुढ़ा गौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
2 गिनी देवी पत्नी पुसाराम जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं। मृतक
3 संतोष कंवर पत्नी स्व. राधेश्याम जाति रावणा राजपुत निवासी हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
4 मानसिंह पुत्र स्व. राधेश्याम
5 भवानी सिंह पुत्र स्व. राधेश्याम जाति रावणा राजपूत निवासी हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती सुमन देवी पत्नी बृजमोहन जाति कुमावत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
8 श्रीमती सुभीता कुमारी पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी खरबासा की ढाणी तन हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी मनीष बनाम गिन्नी देवी आदि मु.नं. 393 / 2015 दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 87 / 2023

1 पूनम उम्र 45 साल पुत्री राधेश्याम पत्नी पुरू ोत्तम जाति रावणा राजपुत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मनी ा पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी ग्राम गुढ़ा गौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
2 गिनी देवी पत्नी पुसाराम जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं। मृतक
3 संतो ा कंवर पत्नी स्व. राधेश्याम जाति रावणा राजपुत निवासी हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
4 मानसिंह पुत्र स्व. राधेश्याम
5 भवानी सिंह पुत्र स्व. राधेश्याम जाति रावणा राजपूत निवासी हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती सुमन देवी पत्नी बृजमोहन जाति कुमावत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
7 श्रीमती सुभीता कुमारी पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी खरबासा की ढाणी तन हुक्मपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी मनी ा बनाम
गिन्नीदेवी आदि मु.नं. 393 / 2015 अंतिम निर्णय
व डिक्री दिनांक 02.08.2022 दावा बाबत विभाजन
एवं स्थायी नि ोधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री यतीश सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 393/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2019 व 02.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 167, 169, 171 वाके ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का बामलास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि फुसाराम की मृत्यु के पश्चात गिन्नीदेवी व राधेश्याम के 1/2—1/2 भूमि दर्ज हुई तथा राधेश्याम की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीया व उसकी दो बहनों को छोड़कर नामान्तकरण तस्दीक हुआ जो कि गलत हुआ। अपीलार्थीया का वाद में वर्णित भूमि में हिस्सा है अपीलार्थीया को दावे में जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा गिन्नी देवी की मृत्यु दिनांक 27.02.2021 को हो गयी जिसकी वारिसान अपीलार्थीया व अपीलार्थीया की दो बहन किरण व सुमन थी विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना डिक्री पारित की है। राधेश्याम के 1/2 हिस्से में राधेश्याम के वारिसान को प्रत्येक का 1/6—1/6

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा है वाद में वर्णित भूमि में मनीष ने कुछ भूमि गिन्नी से क्रय की तथा सुमन ने कुछ भूमि मानसिंह से क्रय की तथा अपीलार्थी व अपीलार्थीया की दो बहनो जो दावा में आवश्यक पक्षकार थी को छोड़कर साज करके दावा डिक्री करवा लिया। अपीलार्थीया व अपीलार्थीया की दो बहन किरण व सुमन को पैत्रिक भूमिं से वंचित कर दिया उक्त निर्णय व डिक्री 02.08.2022 से अपीलार्थीया गंभीर रूप से प्रभावित होती है इसलिये प्रभावित पक्षकार की हैसियत से उक्त अपील पेश की जा रही है दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है अपीलार्थीया को दफा 96 का लाभ देकर अपीलार्थीया को अपील पेश किये जाने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। दिनांक 10.05.2022 को जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया वो सम्पूर्ण रूप से गलत है। तीन नम्बर पर सुभिता कुमारी का विभाजन दिखा रखा है जबकि सुभिता कुमारी दावा में पक्षकार नहीं है इसलिये विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने साज करके दावा डिक्री करवाया है। अपीलार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2022 की पूर्व में जानकारी नहीं थी दिनांक 25.05.2023 को उक्त अवैध निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तब नकल के लिये आवेदन किया तथा दिनांक 26.05.2023 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकले मिली दिनांक 25.05.2023 से पूर्व अपीलार्थीया को निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है यदि अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर अपील अन्दर मियाद दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि पहले राजस्व ग्राम हुक्मपुरा में स्थित थी बाद में उक्त भूमि राजस्व ग्राम लीला की ढाणी बन जाने से विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 778/169 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 776/169 रकबा .22 है., खसरा नम्बर 777/169 रकबा .2 है., खसरा नम्बर 779/169 रकबा 1.59 है. ग्राम लीलो की ढाणी पटवार हल्का बामलास बने। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 167, 169, 171 वाके ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का बामलास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलान्ट विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलान्ट का घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। खातेदारी की उद्घोषणा के अभाव में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से विभाजन के वाद में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधि अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद व गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 167, 169, 171 वाके ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का बामलास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

विवादित भूमि खसरा नम्बर 167, 169, 171 वाके ग्राम हुक्मपुरा राधेश्याम की खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलान्ट राधेश्याम की पुत्री है। प्रथम दृष्टया विरासत के आधार पर अपीलान्ट नोशनल शेयर प्राप्त करने की अधिकारिणी है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम विरासतन दर्ज नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अपीलान्ट का विचारण न्यायालय में दावा संख्या 147/2023 लंबित होना भी स्वीकृत तथ्य है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विरासतन अधिकार निर्धारित होने से पूर्व विचाराधीन निर्णय से भूमि का विभाजन हो जाने पर अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित होते है। विधि अनुसार अपीलान्ट के वाद संख्या 147/2023 के साथ इस विभाजन के वाद को समेकित कर विचारण न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत अपील धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.08.2025 से धारा 96 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार होना माना जा चुका है। अतः प्रकरण विचारण न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित अपीलान्ट के वाद संख्या 147/2023 के साथ इस वाद को समेकित किया जाकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)